उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है तथा ध्यान आकर्षित हुआ है । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर. एल. ई. जी. पी.), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.), समाकलित ग्रामीण विकास (आई. आर. डी.) और अन्य विकास गतिविधियों जैसे कार्यक्रम इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शुरू किये गये हैं । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यरत कार्यकर्ताओं को खाद्यान्न को। कि. ग्रा. मजदूरी के रूप में एक हिस्से के रूप में दिया जाना है खाद्यान्न घटक आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर किया जाता है । वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योज्य संसाधन के रूप में उपयोग हेतु राज्य सरकारों को खाद्यान्न का मीट्रिक टन पेश किया गया था जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण निधि प्रदान की गई थी । इस योज्य खाद्यान्न को स्वीकार करने वाले राज्यों से, मजदूरी का 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न के रूप में मजदूरों को, भुगतान करने की आशा की गई थी । वर्ष 1986-87 के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न में मजदूरी के भुगतान के संबंध में खाद्यानों का 2 मिलियन मीट्रिक टन योज्य संसाधन के रूप में पेश किया गया है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण निधि प्रदान की गई है । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उद्देश्य भूमिहीन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार प्रदान करना है और इस प्रकार ऐसे परिवार को वाजिब स्तर तक आय को सुनिश्चित करना है । इस प्रकार से बढ़ी आय तथा खाद्यान्न परिवारों को अधिक आय शक्ति प्रदान करती है और इससे सुधरी स्थिति में पोषण मिलता है ।

ग्रामीण निर्धन वर्ग की कुशलता और कमाने की क्षमता को सुधारने के लिए प्रशिक्षण ट्राईसेम कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के माध्यम से किया जा रहा है ।

Compensation paid for land acquisition

398. SHRI VIRENDRA VERMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the budgetary provision made in May 1985 for payment of compensation in respect of land earmarked for acquisition in Delhi under the Land Acquisition Act and what is the actual amount of compensation paid to the persons whose land was acquired; and

(b) what are the reasons for not utilising the allocated amount in full?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Separate TV channel for States

399. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Central Government have any proposal under consideration to allow the States to have their own TV channel; and

(b) if so, when the scheme is proposed to be implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Revenue earned by the Madras Doordarshan through Advertisements

400. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the revenue earned through advertisements by the Madras Doordarshan for the years 1981-82, 1982-83, 1983-84 and 1984-85;